प्रेस नोट **दिनांक 09/08/2026**

दुष्कर्म मामले में वाछिंत 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार, के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी मु0बाद श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय, नेतृत्व दिनांक 09.07.2026 को में थाना रानीपुर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर रानीपुर गाँव को जाने वाले रास्ते के मेन गेट के पास से मु0अ0सं0 87/2026 धारा 65(1), 352, 351(2), बीएनएस व 5m/6 पाक्सो एक्ट से संबंधित अभियुक्त नीरज पासवान पुत्र राजेन्द्र पासवान उम्र करीब 21 वर्ष, निवासी खिरियां, थाना रानीपुर, मऊ को गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-</u>

1. **नीरज पासवान पुत्र राजेन्द्र पासवान (उम्र करीब 21 वर्ष) निवासी खिरियां, थाना रानीपुर, जनपद मऊ**

<u>गिरफ्तारी का स्थान –</u>

1. **रानीपुर गाँव को जाने वाले रास्ते के मेन गेट थाना रानीपुर जनपद मऊ दिनांक 09.07.2026 समय करीब 06.05 बजे**

<u>पंजीकृत मुकदमें का विवरण-</u>

1. मु0अ0सं0 87/2026 धारा 65(1) ,352,351(2), बीएनएस व 5m/6 पाक्सो एक्ट थाना रानीपुर जनपद मऊ

थाना कोपागंज साइबर पुलिस टीम द्वारा, फ्रॉड हुए 107728-/ रुपये पीडित को वापस कराया गया–

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ के कुशल निर्देशन में साइबर फ्राड रोकथाम व जागरुकता के तहत चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी घोसी व थानाध्यक्ष कोपागंज के कुशल नेतृत्व में थाने पर नियुक्त साइबर पुलिस टीम द्वारा पीड़ित, **1.**मु0 फैजल पुत्र फिरोज अहमद निवासी फतेहपुरताल नरजा कोपागंज मऊ का 27812 रुपये की धनराशि द्वारा फोनकर उनको अरेस्ट करने की धमकी देकर फ्राड कर ली गयी थी, **2.** रत्नाकर सिंह पुत्र प्रेमनाथ निवासी शहाबगंज तियरा चंदौली का 34916/- रुपये **3.** अजीत कुमार पिता पारस नाथ पता लिलारी भरौली थाना

कोपागंज,मऊ की 45000 रूपये धनराशि अंजान व्यक्ति द्वारा फ्राड कर ली गयी जिसके सम्बन्ध में आवेदकों द्वारा समय रहते साइबर कम्प्लेन की शिकायत की गयी । उक्त शिकायत के आधार पर थाना कोपागंज में नियुक्त साइबर टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुये पीड़ितों के खाते से फ्राड हुई सम्पूर्ण धनराशि 107728 /- रुपये वापस कराया गया।

गुम/खोये हुए कुल 01 अदद मोबाइल फोन अनुमानित कीमत लगभग 24999/-रुपये साइबर पुलिस टीम थाना रानीपुर जनपद मऊ द्वारा वापस कराया गया-

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में द्वारा गुम हुए मोबाइल फोन की बरामदगी के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मुहम्मदाबाद के कुशल नेतृत्व में थाना रानीपुर पुलिस द्वारा आज दिनांक 09.07.2026 को गुम हुए 01 अदद मोबाइल फोन पीडित निखिल कुमार पुत्र पारस राम सा0 खुरहट थाना रानीपुर जनपद मऊ मोबाइल- iQOO Z10R 5G, साइबर क्राइम पुलिस टीम थाना रानीपुर जनपद मऊ द्वारा सीईआईआर पोर्टल के माध्यम से बरामद कर उसके मालिको तस्दीक कर सुपुर्द किया गया।

मऊ पुलिस आमजन से अपील करती है किं मोबाइल फोन गुम होने की स्थिति में तत्काल CEIR पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराये अथवा साइबर हेल्पलाइन नम्बर 1930 पर सम्पर्क करें जिससे त्वरित कार्यवाही कर गुमशुदा मोबाइल की बरामदगी सुनिश्चित की जा सके।

प्रेस नोट

09/07/2026

जनपद मऊ पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में विभिन्न थानो द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए अलग-अलग स्थानों से अभियुक्तों की गिरफ्तारी/बरामदगी व विभिन्न मामलों में वांछित/वारंटी अभियुक्तों को भी गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई।

कार्यवाही का विवरण –

1. थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त अजीत यादव पुत्र रविन्द्र यादव निवासी मोइद्दीनपुर थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ को
2. थाना मधुबन पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त हरिकेश पुत्र दीनानाथ निवासी चककैबतल्लाह थाना मधुबन जनपद मऊ
3. थाना सरायलखन्सी पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त संदीप राय पुत्र स्व0 राज देव राय निवासी भदंवा थाना मुहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ ।को गिरफ्तार कर चालना मा0 न्यायालय किया गया

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में आज दिनांक 09.07.2026 को जनपद मऊ के समस्त थाना क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनो व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया-

इस अभियान के अंतर्गत 31 टीम गठित कर जनपद के 39 स्थानों पर बदल बदलकर लगभग 1300 सदिग्ध वाहनो/व्यक्तियो को चेक किया गया जिसमें यातायात के नियमों का पालन न करने पर 437 वाहनों को विभिन्न धाराओ में चालान एवं 06 वाहन को सीज किया गया साथ ही साथ अन्य लोगों को हिदायत भी दी गयी तथा यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु वाहन चालकों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें एवं गलत स्थानो पर पार्किंग नही करे तथा सुरक्षित यातायात में सहयोग प्रदान करें।

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ०प्र० लखनऊ महोदय द्वारा चलाये जा रहे अभियान "OPERATION CONVICTION" के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर व मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन द्वारा की गयी लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 09.07.2026 को 02 अभियुक्तो को मा0 न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट जनपद मऊ द्वारा दोषी करार देते हुए दी गयी सजा, विवरण निम्नवत है:-

थाना कोपागंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 936/2012 धारा 419,420, 467, 468,471, भादवि के आरोपी 1. रामदरश यादव पुत्र शिवशंकर यादव निवासी मऊ कुबेर थाना हलधरपुर

जनपद मऊ 2. अवधेश राजभर पुत्र विश्वनाथ राजभर निवासी मानिकपुर थाना हलधरपुर जनपद मऊ को उक्त धारा में 04 वर्ष साधारण कारावास की सजा व ₹15000 -15000 का अर्थ दंड से दण्डित किया गया।